[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 3/2021-सीमा शुल्क (सीवीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च, 2021

सा.का.नि. (अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मलेशिया (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है), में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), (जिसे एतश्मिन पश्चात उक्त सीमा शुल्क अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7007 19 00 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में अधिसूचना संख्या 6/13/2019-डीजीटीआर, दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) प्रश्नगत उत्पाद भारत को विषयगत देश से आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर निर्यात किया गया था, जिसके कारण यहां इन आर्थिक सहायता प्राप्त उत्पादों की भरमार हो गई ।
(ii) प्रश्नगत उत्पादों को आर्थिक सहायता मिलने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है ।
(iii)यह सारवान क्षति विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आर्थिक सहायता प्राप्त आयात के कारण हुई है ।

और उस पर निश्चयात्मक 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाए जाने की सिफारिश की है, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके ।

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज्ड वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20 और 22 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तु पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर उस राशि तक की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती है जो कि कॉलम (7) में उल्लिखित दर से परिगणित ड्यूटी की प्रमात्रा और देय प्रतिपाटन शुल्क, यदि कोई हो, की राशि के बीच अंतर के समतुल्य हो, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	शीर्षक/उप शीर्षक/टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि, सीआईएफ मूल्य के % के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7007 19 00	टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास, चाहे कोटेड हो या उन्काटेड	मलेशिया	मलेशिया	झिंगयी सोलर (मलेशिया), एसडीएन. बीएचडी	9.71
2.	7007 19 00	टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास, चाहे कोटेड हो या उन्काटेड	मलेशिया	मलेशिया	ऊपर क्रम संख्या 1 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई उत्पादक	10.14
3.	7007 19 00	टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास, चाहे कोटेड हो या	मलेशिया	मलेशिया से भिन्न कोई अन्य देश	कोई भी	10.14

		उन्काटेड				
4.	7007 19 00	टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास, चाहे कोटेड हो या उन्काटेड	मलेशिया से भिन्न कोई अन्य देश	मलेशिया	कोई भी	10.14

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाई गई काउंटर वेलिंग ड्यूटी इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:-

(1) काउंटर वेलिंग ड्यूटी की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की प्रासंगिक तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

(2) "सीआईएफ मूल्य" से अभिप्राय उस आंकलन मूल्य से है जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अंतर्गत किया जाता है ।

(फाइल संख्या 354/15/2021-टीआरयू)

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार